निर्णय व इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :125/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

कमला देवी पुत्री बद्री प्रसाद पत्नी श्री राजेन्द्र जाति जोगी निवासी–ए–24, नवदीप विहार, गांधी नगर वेस्ट, लालरपुरा, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1.श्री ललित कुमार मीणा आर.ए.एस॰ उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर, ग्रामीण

2.लक्ष्मी देवी पत्नी बद्री जाति जोगी निवासी ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर, हाल निवासी पुलिस थाने के पीछे, गणेश कालोनी, दूदू जिला दूदू ।

3.अशोक पुत्र बद्री निवासी पुलिस थाने के पीछे, गणेश कालोनी, दूदू जिला दूदू ।

4.आशा पुत्री रामू जाति जोगी निवासी ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

5.श्रीमती उगन्ता पत्नी स्व॰ श्री किशोर

6.कजोड मल पुत्र प्रभू नारायण

7.केशर पुत्री गौरू

8.कृष्ण कुमार पुत्र रामफूल

9.श्रीमती गुड्डी पत्नी लादूराम

10. गुड्डी पुत्री लक्ष्मण

11. ग्यारसी पत्नी स्व॰ श्री रामफूल

12. गिर्राज नाथ पुत्री गोकुल नाथ

13. घीसा पुत्र लादू

14. छोट्या पुत्री गोविन्दा

15. जगदीश पुत्र किशोर

16. झूंथी पुत्री गोरू

17. दीपक पुत्र मोहन

18. श्रीमती धन्नी पत्नी महादेव नाथ

19. श्रीमती नैना देवी पत्नी अशोक उर्फ जोगेन्द्र

20. नीतू पुत्री नील कमल

21. पूजा पुत्री नरेन्द्र

22. पप्पू पुत्र लक्ष्मण

23. प्रताप पुत्र लादू (फोत)

24. प्रहलाद पुत्र रामू

25. बरजी पत्नी गोकुलनाथ

26. बसन्ती पुत्री लक्ष्मण

27. बाबूलाल पुत्र रामू

28. भगवान पुत्र लक्ष्मण

जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

भगवान नाथ पुत्र गोकुल

मदन नाथ पुत्री गोकुल नाथ

महावीर पुत्र नीलकमल

मानीस पुत्री अशोक उर्फ जोगेन्द्र

मीनाक्षी पुत्री अशोक उर्फ जोगेन्द्र

मोहन पुत्र. लक्ष्मण

35. रूकमणी देवी पत्नी स्व॰ श्री नरेन्द्र

36. रेखा पुत्री अशोक उर्फ जोगेन्द्र

37. रजनी पुत्री रामफूल

38. राजन पुत्री गोविन्दा

39. राजन पुत्री लक्ष्मण

40. राजेश पुत्र मोहन

41. रामपाल पुत्र प्रभू नारायण

42. राहुल पुत्र नरेन्द्र

43. लहरी पुत्र नरेन्द्र

44. विज पुत्र अशोक उर्फ जोगेन्द्र

45. विनोद पुत्र किशोर

46. शंकर पुत्र गोविन्दा

47. श्रवण लाल पुत्र प्रभूनारायण

48. संजना पुत्री नील कमल

49. संतोष पुत्री प्रभू नारायण

50. सूरज पुत्र रामफूल

51. सोन्या पुत्र गोविन्दा

52. हनुमान पुत्र प्रभूनारायण

53. हीना पुत्री अशोक उर्फ जोगेन्द्र

54. रामफूल पुत्र गोविन्दा (मृतक)

54/1.ग्यारसी पत्नी राम फूल

54/2.कृष्ण कुमार पुत्र रामफूल

54/3. रजनी पुत्री रामफूल

54/4.सूरज पुत्र रामफूल

55. गोपाल पुत्र गोरू (फौत)

55/1. शान्ति पत्नी गोपाल

55/2.बोदू पुत्र गोपाल

55/3.दुर्गालाल पुत्री गोपाल

55/4. बजरंग पुत्र गोपाल

जिला कलक्टर • जिला जयपुर (ग्रामीण)

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

कमल पुत्र रामू (फोत)
56/1.सावित्री पत्नी कमल
56/2.राजवीर पुत्र. कमल
. कमल उर्फ नीलकमल पुत्र गोविन्दा (फोत)
57/1.नीतू पुत्री कमल उर्फ नीलकमल
57/2.संजना पुत्री कमल उर्फ नीलकमल
57/3. महावीर पुत्र कमल उर्फ नीलकमल
समस्त जोगी, निवासी ग्राम नायला, तहसील जमवारामढ, जिला जयपुर।
. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।
9. उप पंजीयक जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 64/2024 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 48/2024 ब उनवानी कमला देवी बनाम लक्ष्मी देवी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित:-

1. श्री प्रेम प्रकाश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री नेमीचन्द जलवानियां अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 9 ओर से ।

निर्णय दिनांक 28.10.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 64/2024 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 48/2024 ब उनवानी कमला देवी बनाम लक्ष्मी देवी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से अधिवक्ता श्री नेमीचन्द जलवानिया ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त वाद के साथ प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का भी प्रस्तुत किया था जिसके मुकदमा

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 48/2024 है। जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस सुनी जाकर प्रार्थिया के अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से सन्तुष्ट होने पर दिनांक 16.05.2024 को खसरा नम्बर 13 व 14 के संबंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखने के आदेश पारित किये गये है, जिससे अप्रार्थीगण वादिया से रंजिश रखने लग गये है । प्रार्थिया के अन्य सहखातेदारों द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान दीगर को कर वादिया के हिस्से में मजाहमत गदाखलत कर रहे है तथा बावजूद स्थगन के येनकेन प्रकारेण वादिया को परेशान कर रहे है तथा इन्हीं सह खातेदारों का एक लडका अर्जुन वादिया को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में राजीनामा कर बेड़ो करने का दबाव बना रहा है तथा वादिया को कह रहा है कि या तो आप उक्त स्टे को बेड़ा कर लो नहीं हमारी अधिकारी से जान पहचान व राजनैतिक जानकारी भी है। हम आपके स्टे को खारिज करवा देंगे। अप्रार्थी 2 लगायत 57 जो वादिया से संख्या में ज्यादा है तथा बाहुबल वाले व राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जो अपनी राजनैतिक पहुंच के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी को अपने प्रभाव व प्रलोभन में लेकर अपने पक्ष में निर्णय करवाने पर आमदा हो रहे है । उक्त तथ्यों की पुष्टि इस प्रकार से हो रही है कि उक्त अप्रार्थीगण द्वारा गांव के लोगों से कहा जा रहा है कि हमारी एस डी ओ साहब से बात हो गई है एवं आगामी तारीख पर स्टे खारिज करवा लेंगे । पूर्व की तारीख पर भी उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 का रवैया सही प्रतीत नहीं हो रहा है, बल्कि अप्रार्थीगण का कोई जवाब नहीं दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में कोई जवाब भी नहीं दिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भी वादिया को कहा गया कि मै आपके प्रकरण में स्टे खाजिर करूंगा या तो आप राजीनामा कर लो। मेरे ऊपर राजनैतिक दबाव है । इसलिए प्रकरण को जल्द ही निस्तारण करने पर आमदा हो रहे है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 57 के प्रभाव में है। इसलिए प्रार्थिया को अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 9 के अधिवक्ता ने प्रार्थिया के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थिया ने अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर रखा है। जिसका बेजा फायदा उठाने के लिए जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे एवं काल्पनिक तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थिया द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थिया के पक्ष में स्थगन जारी किया हुआ और अब उन्हीं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थिया ने न्याय मिलने में शंका जाहिर की है जो प्रार्थिया द्वारा प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मनः स्थिति को दर्शाता है। प्रार्थिया का यह कृत्य न्याय के

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रार्थिया ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थिया ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर जिला जयपुर (ग्रामीण)

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner